भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1118
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियां

1118. श्री के.मुरलीधरन :
एडवोकेट डीन कुरियाकोस :
श्री दीपक बैज :
एडवोकेट अदूर प्रकाश :
श्री के. सुधाकरन :
डॉ. मोहम्मद जावेद :
श्री टी. एन. प्रथापन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितनी रिक्तियों की सूचना दी गई है और उक्त रिक्तियों के विरुद्ध उक्त अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कितने प्रस्तावों की सिफारिश की गई है ;
(ख) उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उक्त प्रस्तावों की सिफारिश किए जाने के बाद कितना समय बीत चुका है ;
(ग) क्या सरकार को न्यायिक नियुक्तियों, साथ ही उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादलों में देरी की जानकारी है और यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ;
(घ) उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी न मिलने के विस्तृत कारण क्या हैं; और
(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान उन उच्च न्यायालयों के नाम क्या हैं जिनके न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : 04.12.2023 तक न्यायाधीशों की स्वीकृत 34 पदसंख्या की तुलना में उच्चतम न्यायालय पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है और कोई रिक्ति नहीं है। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1114 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या की तुलना में 790 न्यायाधीश कार्यरत हैं और न्यायाधीशों के 324 पद रिक्त हैं।

01.01.2023 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय कॉलेजियमों से 171 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान, 121 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए। चालू कैलेण्डर वर्ष के दौरान विचारार्थ कुल 292 प्रस्तावों में से 110 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और एससीसी की सलाह पर 60 सिफारिशें उच्च न्यायालयों को भेज दी गईं । 04.12.2023 की स्थिति के अनुसार, 122 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इन 122 प्रस्तावों में से, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह लेने के लिए 87 प्रस्ताव भेजे गए थे जिनमें से 45 प्रस्तावों पर एससीसी ने सलाह दी है जो सरकार में प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। 42 प्रस्ताव एससीसी के विचाराधीन हैं। हाल ही में प्राप्त 35 नए

प्रस्ताव एससीसी की सलाह लेने के लिए प्रक्रियागत हैं । शेष 198 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कॉलेजियमों से सिफारिशें अभी प्राप्त होना बाकी हैं।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है।

कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोगात्मक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, वर्ष 2022 के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और उच्च न्यायालयों में 08 स्थानांतरण किए गए (02 मुख्य न्यायमूर्ति और 06 न्यायाधीश) , और वर्ष 2023 के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 110 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और 04.12.2023 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 34 न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और 28 अक्तूबर,1998 की उनकी सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामले) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से रिक्ति होने से छह महीने पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिक्ति को भरने के प्रस्ताव को आरंभ करना अपेक्षित है। तथापि, उच्च न्यायालयों द्वारा अक्सर इस समयसीमा का पालन नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित सभी नामों को सरकार के विचारों के साथ सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजा जाता है। तथापि, सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी एससीसी द्वारा सिफारिश की जाती है।

विद्यमान एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से आरंभ किया जाता है। एमओपी में यह भी उपबंध है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी ध्यान में रखेगा , जहां से न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाना है, साथ ही उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी ध्यान में रखेगा, जिसमें स्थानांतरण किया जाना है, इसके अलावा एक या अधिक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो विचार देने की स्थिति में हैं।

सभी स्थानांतरण जनहित में, अर्थात सम्पूर्ण देश में न्याय के बेहतर प्रशासन का संवर्धन करने के लिए, किए जाने हैं । एमओपी में न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है।

वर्ष 2023 के दौरान, 34 न्यायाधीश मद्रास, कलकत्ता, पटना, जम्मू – कश्मीर और लद्दाख, पंजाब और हरियाणा, इलाहाबाद, केरल, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किए गए हैं ।

****